



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062021-227433
CG-DL-E-09062021-227433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2031]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943

No. 2031]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2021

का.आ. 2191(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4249(अ) तारीख 04 नवम्बर 2020, जो भारत के राजपत्र तारीख 26 नवम्बर 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में अमौसी डिपो से ए.एफ.एस. लखनऊ एयरपोर्ट, जिला—लखनऊ तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन हेतु भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबंधित भू-स्वामियों को तारीख 01 जनवरी 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और श्री मनीष कुमार नाहर, सक्षम प्राधिकारी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ ए. टी. एफ परियोजना, ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्दोश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील: सरोजनी नगर		जिला: लखनऊ	राज्य: उत्तर प्रदेश		
क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
	अमौसी	592	00	02	09
		589 (रास्ता)	00	00	11
		567 क (ऊसर)	}	05	27
		567 ख			
		565	00	02	11
		562 क	}	00	02
		562 ख			
		512	00	01	51
		556 (ऊसर)	00	00	68
		555 (नवीन परती)	00	01	15
		554 (बंजर)	00	02	78
		2840(नाली)	00	03	80
		2841(चकमार्ग)	00	06	82
		2842	00	02	85
		2843	00	01	53
		2844	00	00	58
		2847	00	00	36
		2837	00	00	17
		2851 (नाली)	00	04	26
		2877	00	00	37
		2882	00	01	89
		2855	00	05	01
		2901	00	00	14
		2902	00	00	38
		2903	00	00	10
		2904	00	00	41
		2903(चकमार्ग)	00	10	03
		2907	00	00	64
		2908	00	00	61
		2909	00	00	48
		2910	00	00	75
		2911	00	00	10

अमौसी	3164 (मुख्य मार्ग)	00	09	92
	3165	00	02	53
	2912	00	00	10
	3163(बंजर)	00	01	77
	3162	00	00	56
	3161	00	00	26
	3159	00	00	30
	3158	00	00	15
	2947(बंजर)	00	01	76
	2948 (मुख्य मार्ग)	00	00	10
	2949 क	}	00	00
	2949 ख			
	2950 क			
	2950 ख			
	2950 ग			
	2950 घ	}	00	00
	2956			
	2957			
	2958			
	3129 (नाली)	00	00	10
	3115	00	00	57
	3113	00	01	65
	3112 (चकमार्ग)	00	00	10
	3093	00	02	51
	3091	00	00	83
	3092 (मुख्य मार्ग)	00	12	25
	3094 (नाली)	00	00	10
बेहटवा	216	00	00	93

[फा. सं. आर-11025(11)/1/2020- ओ आर -I/ ई-32974]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May 2021

S.O. 2191(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4249(E) dated the 04th November, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 26th November, 2020 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying ATF pipeline from Amausi Depot to AFS Lucknow Airport for the transportation of Petroleum Products in District-Lucknow in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the concerned land owner by 1st January 2021.

And whereas Shri Manish Kumar Nahar, Competent Authority IOCL A.T.F. Pipeline Project, Lucknow has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Tehsil:- Sarojini Nagar			District:- Lucknow		State :- Uttar Pradesh	
Sl. No.	Name of the Village	Khasara No.	Area			
			Hectare	Are	Sq.mtr.	
1	2	3	4	5	6	
	Amausi	592	00	02	09	
		589 (Cart Track)	00	00	11	
		567 K (Usar)	00	05	27	
		567 Kh				
		565	00	02	11	
		562 K	00	02	26	
		562 Kh				
		512	00	01	51	
		556 (Usar)	00	00	68	
		555 (Navin Parti)	00	01	15	
	Amausi	554 (Banjar)	00	02	78	
		2840(Nali)	00	03	80	
		2841(Chakmarg)	00	06	82	
		2842	00	02	85	
		2843	00	01	53	
		2844	00	00	58	
		2847	00	00	36	
		2837	00	00	17	
		2851 (Nali)	00	04	26	
		2877	00	00	37	
		2882	00	01	89	
		2855	00	05	01	

	2901	00	00	14
	2902	00	00	38
	2903	00	00	10
	2904	00	00	41
	2903(Chakmarg)	00	10	03
	2907	00	00	64
	2908	00	00	61
	2909	00	00	48
	2910	00	00	75
	2911	00	00	10
	3164 (Mukhya Marg)	00	09	92
	3165	00	02	53
	2912	00	00	10
	3163(Banjar)	00	01	77
	3162	00	00	56
	3161	00	00	26
	3159	00	00	30
	3158	00	00	15
	2947(Banjar)	00	01	76
	2948 (Mukhy Marg)	00	00	10
	2949 K	}	00	00
	2949 Kh			
	2950 K	}	00	00
	2950 Kh			
	2950 G			
	2950 Gh			
	2956		00	01
	2957		00	01
	2958		00	02
	3129 (Nali)		00	00
	3115		00	00
	3113		00	01
	3112 (Chakmarg)		00	00
	3093		00	02
	3091		00	00
	3092 (Mukhy Marg)		00	12
	3094 (Nali)		00	00
Behatva	216		00	00

[F. No. R-11025 (11)/1/2020-OR-I/E-32974]
P. SOMAKUMAR, Under secy.